

प्ररूप- 2ड.
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान



[भाग-1]

हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए 03 कारण स्वीकृत

निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सुनील कुमार पाण्डेय (पिता/माता/पति का नाम)

श्री विन्ध्यचल पाण्डेय उसका ठाक पता ग्राम-भदली मंगरिया

पो बेलगां बहुशरी ग्राम - जौनाहा जिला पंचगढार उसका नाम

21-1-2012 विधान सभा / निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 300

में क्रम सं० 178 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम सारण स्वीकृत

बिहार परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया

है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6
1	15	210	संजीव कुमार पाण्डेय	संजीव कुमार पाण्डेय	13.3.23
2	15	89	नागेन्द्र महतो	नागेन्द्र महतो	13.3.23
3	15	177	रीना कुमारी	रीना कुमारी	13.3.23
4	14	20	अजीत कुमार झा	अजीत कुमार झा	13.3.23
5	14	238	गुरु कुमार	गुरु कुमार	13.3.23
6	14	148	आनन्द कुमार	Anandkumar	13.3.23
7	14	890	शशिचंद्र नारायण सिंह	शशिचंद्र नारायण सिंह	13.3.23
8	14	479	पूजेश कुमार तिवारी	पूजेश कुमार तिवारी	13.3.23
9	14	850	विश्वजीत मणि त्रिपाठी	विश्वजीत मणि त्रिपाठी	13.3.23
10	14	745	रानी लक्ष्मण	Rampawan	13.3.23

* प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए।

मैं, ऊपरवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने.....54.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ग) मैं इस निर्वाचन में.....शुद्ध..... वल द्वारा खड़ी किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ;

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....हिन्दी.....(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है; और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं.....03 सारण स्नातक विधान.....परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से.....बि.अ.क......(राज्य) की विधान परिषद् के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और नहीं किया जाऊंगा।

तारीख :- 13.03.2023

सुधीर कुमार पाठेय
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,

• जो लागू न हो, उसे काट दें।

भाग- 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ/नहीं

गए

यदि उत्तर "हाँ" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं (लागू नहीं)
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ एवं तारीख लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है लागू नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
 - (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
 - (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?..... (हाँ/नहीं)
-यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?..... (हाँ/नहीं)
-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है लागू नहीं
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठ या अनुपति के अधीन है?..... (हाँ/नहीं)
-यदि हाँ, ब्यौरे दीजिए लागू नहीं
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहिंत किया गया है? लागू नहीं
..... (हाँ/नहीं)
-यदि हाँ, निरहिंत किए जाने की अवधि लागू नहीं
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभ्रष्टाचार के लिए पदच्युत किया गया है?..... (हाँ/नहीं)
-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख लागू नहीं

- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?.....(हाँ/नहीं)
 -यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे.....लागू नहीं
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....
(हाँ/नहीं)
 -यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....लागू नहीं
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है?.....नहीं (हाँ/नहीं)
 -यदि हाँ, निर्दिष्टन की तारीख.....

स्थान :- द्वारा

तारीख :- 13.03.23

सुशील कुमार पांडेय
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 3

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए,)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं०.....12

यह नामनिर्देशन गुड्रे/मुद्रे कार्यालय में 13-3-2023 (तारीख) को 01.00 PM (बजे)
 अभ्यर्थी / प्रत्यक्षक सुशील कुमार पांडेय (नाम) द्वारा परित्त किया गया।

तारीख :- 13.3.2023



रिटर्निंग ऑफिसर

भाग- 4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय


मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख :-

रिटर्निंग ऑफिसर

(नियम 4क देखिए)

Name: सुशिल कुमार पाण्डेय
 Address: मुआसी मंगरिया, मधु, पश्चिम चम्पारण
 833
 13/3/23
 26
 13/3/23
 NOTARY CHAPRA



03 सारण स्नातक

विधान परिषद

निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के निर्वाचन

समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

में सुशिल कुमार पाण्डेय

**पुत्र/पुत्री/पत्नी

विधान परिषद

आयु 54 वर्ष, जो ग्राम- मुरली मंगरिया पो०- बेलवा बडुअरी

थाना- गौनाहा जिला- पश्चिम चम्पारण

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ

और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी

(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा

किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।



जो लागू न हो उसे काट दें

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार रामनगर

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)

300 के क्रम सं 233 178 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9939296471 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ है/हैं और

शून्य

मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया


खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

- (i) शून्य
- (ii) शून्य
- (iii) शून्य

सुशिल कुमार पाण्डेय

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति:

क्र.सं.	नाम	पीएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं सुशिल कुमार पाण्डेय	CSBPP9783N	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
2.	पति / पत्नी गीता देवी	FNLPD0774D	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी वधु या सहदायिक है)	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
		BHBPR3231B	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
5.	आश्रित-2 अमिय स्वरूप	EORPS4793M	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
6.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य



सुशिल कुमार पाण्डेय

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले.

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। ✓

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: ✗

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यारे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्बलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. के अलावा भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा... Mohan Kumar Pandey NOTARY CHARTER अनुसंधान का विभाग, विन्ध्य Regd. No-7483722	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	यदि उपर्युक्त मद (घ.) के सामने उत्तर हाँ है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6) दोषसिद्धि के मामले, - शून्य

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। ✓

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

सुधीन कुमार पांडेय

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	दोषसिद्ध के आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6क) मैंने ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। लागू नहीं

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।

शुभम कुमार पांडेय

5. अम्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 538 में गाननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएँ देने का उत्तरदायी होगा।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

क. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/ विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अम्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अम्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवन यापन के लिए अम्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत है:

क्र० सं०	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	50,000	10,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	20,000	20,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शुभील कुमार पाण्डेय

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटर वाहन / वायुयान / याच / पोत (भेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	BR-22 A-3518 2013 20,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जोवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (गार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	3,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य / ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	सकल कुल मूल्य	90,000	3,30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे



संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी दिया जाना है।

भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना

टिप्पणी: संयुक्त आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	0-8 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हैं या नहीं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शुभील कुमार

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	80,00000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	व्यापारिक, (अवस्थिति) (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



संजीव कुमार पारशर

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	136	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1500 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वामित्व संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित (क्रय की दशा में) मूल्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान मूल्य	50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समस्त रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	रकम	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सुनील कुमार पांडेय

पूर्वागत वर्धित से भन्न किन्हीं अन्य व्यक्ति, निवाय वने ऋण या देय राशि नाम, मकानया एवम्, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
देयताओं का सकल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है? नहीं</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :- (i) सरकारी आवास का पता : लागू नहीं</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में निम्नलिखित के भंटे कोई शोध्य संदेय नहीं है- लागू नहीं (क) भाटक; शून्य (ख) विद्युत प्रभार; शून्य (ग) जल प्रभार; और शून्य (घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार</p> <p>[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए] उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>					हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाए)
(iii) सरकारी परिषद से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v) जीएसटी शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii) कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix) क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्भूत रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



शुभम कुमार पांडेय

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं..... कृषि
(ख) पति या पत्नी..... घरेलू महिला

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे :

- (क) स्वयं..... कृषि
(ख) पति या पत्नी..... शून्य
(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों..... शून्य

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

- (क) अन्यर्था द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... शून्य
(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... शून्य
(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... शून्य
(घ) न्यास, जिसमें अन्यर्था या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, की गई संविदाओं के ब्यौरे..... शून्य
(ङ) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अन्यर्था या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है..... शून्य
(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अन्यर्था या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है..... लागू नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

एम० ए० , एल० - एल० बी०

बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1995

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का सारांश

1	अन्यर्था का नाम	श्री/श्रीमती/कृ सुशिला कुमार पाण्डेय
2	ठाक का पूरा पता-	श्री०. मुरली मंगरिगा, पो०-बेलवा लडुअरी मि०-प०-ममारावा
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	03- सारण स्नातक, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य- बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अन्यर्था को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	शून्य

शुशिला कुमार पाण्डेय

ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।

7		स्थायी लेखा सं. (पैन)	यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्ची	ESBPP 9783 N	लागु नहीं	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	FNLPD 0774 D	लागु नहीं	शून्य
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य
	(घ) आश्रित	BPHBPR 3231 B	लागु नहीं	शून्य

8 आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में व्यंजित

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित -1	आश्रित-2	आश्रित-3
क. जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	90,000	3,30,000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य
ख. स्थावर आस्ति	80,00000	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य
(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य
(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/संशोधन लागत यदि लगे	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	शून्य
(iii) (क) मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	80,00000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



9	देयताएं						
(i)	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे देयताएं जो विवादाधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11 उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: एम. ए., एल. ए. शल. ए. वी. 1995
 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर सुनील कुमार पांडेय

(शपथपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरा, मेरे पति, मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

द्वारा

स्थान पर, आज तारीख 13.03.2023 को सत्यापित किया गया।

I identify the Signature/L.T.I. of
deponent who has signed/put
L.T.I. in my presence.
Suresh Chandra Yadav
Advocate 3.3.23

सुरेश कुमार पांडेय
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

- टिप्पण: 1 शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3:00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4 शपथपत्र में जो भी लिखा है या प्रस्ताव रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- टिप्पण: 5 शपथपत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभिसाक्षी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।



(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एच. 1049/2018-विधि-II दिनांक 10.10.2018 और सं. एच-11019/13/2016-विधावी 2 दिनांक 26.02.2019)

सुरेश कुमार पांडेय